रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072025-264904
CG-DL-E-23072025-264904

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 445] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 22, 2025/आषाढ़ 31, 1947
No. 445] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 22, 2025/ASHADHA 31, 1947

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 488(अ).— केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के खंड 3 में उप-खंड 13 के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात:-

"(13) राज्य सरकार अपात्र परिवारों का लोप करने या पात्र परिवारों को शामिल करने के प्रयोजन से पात्र परिवारों की सूची का नियमित पुनर्विलोकन करेगी और प्रत्येक पाँच वर्ष में इनकी अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी करेगी।

(13क) कोई भी सदस्य अठारह वर्ष की आयु पूरा होने तक, पृथक राशन कार्ड रखने के लिए पात्र नहीं होगा।

(13ख) पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आधार संख्या दर्ज की जाएगी, यदि उपलब्ध हो और पाँच वर्ष की आयु होने के एक वर्ष के भीतर बच्चों के लिए ई-केवाईसी किया जाएगा।"।

3. उक्त आदेश के,खंड 4 में, उप-खंड (21) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खंडअंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

"(22) राज्य सरकार उन फायदाग्राहियों के राशन कार्ड अस्थायी रूप से निर्योग्य कर देगी, जिन्होंने पिछले छह मास में अपनी पात्रता का प्रयोग नहीं किया है, तत्पश्चात, राज्य सरकार राशन कार्ड का पुनर्मूल्यांकन करने, पात्रता अवधारित करने और समुचित कार्रवाई करने के लिए अगले तीन मास के भीतर क्षेत्र सत्यापन करके ई-केवाईसी करवाएगी।

(23) राज्य सरकार उन फायदाग्राहियों को अस्थायी रूप से निर्योग्य कर देगी, जिनकी पहचान राज्य के अन्दरया बाहर डुप्लीकेट के रूप में की गई है और ऐसे निर्योग्य राशन कार्डों को आवश्यक दस्तावेज और ई-केवाईसी प्रदान करने के द्वारा उनकी पात्रता को पुन: विधिमान्य करने या साबित करने के लिए तीन मास का समय दिया जाएगा।

(24) राज्य सरकार राशन कार्ड जारी करने के लिए प्रथम-आवक प्रथम-जावक पद्धति का उपयोग करेगी और राज्य वेब-पोर्टल सहित सार्वजनिक डोमेन में एक पारदर्शी प्रतीक्षा सूची उपदर्शित करेगी, जिससे उपयोगकर्ता वास्तविक समय में अपने आवेदन की प्रास्थिति का पता कर सकेंगे।

परंतु कि राज्य सरकार विशेष परिस्थितियों में अभिलिखित न्यायोचित्य के साथ समाज के पात्र कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को प्राथमिकता दे सकती है।"।

[फा. सं. 2-1/2023-पीडी-II]

रवि शंकर, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड(i) में संख्या सा.का.नि. 213 (अ), तारीख 20 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित हुआ था और अंतिम बार संख्या सा.का.नि. 43 (अ), तारीख 15 जनवरी, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 22nd July, 2025

G.S.R. 488(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015, namely:-

1. Short title and commencement.- (*1)* This Order may be called the Targeted Public Distribution System (Control) Amendment Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015 (hereinafter referred to as the said Order), in clause 3, for sub-clause (13), the following sub-clauses shall be substituted, namely :-

"(13) The State Government shall regularly review the list of the eligible households for the purpose of deletion of ineligible households or inclusion of eligible households, and perform mandatory e-KYC every five years.

(13a) No member shall be eligible to hold a separate ration card before the completion of eighteen years of age.

(13b) Aadhaar number shall be captured for children below five years of age, if available and e-KYC shall be performed for children within one year after turning five years.".

3. In the said Order, in clause 4, after sub-clause (21), the following sub-clauses shall be inserted, namely:-

"(22) The State Government shall temporarily disable ration cards of beneficiaries who haven't used their entitlements in the last six months, thereafter, the State Government shall conduct e-KYC by conducting field verification within the next three months to re-evaluate the ration card, determine eligibility, and take appropriate action.

(23) The State Government shall temporarily disable beneficiaries who have been identified as duplicates within or outside the State and such disabled ration cards will be given a window of three months to revalidate or prove their eligibility by providing necessary documents and e-KYC.

(24) The State Government shall use the First-In First-Out method for issuance of ration card and display a transparent waiting list in the public domain, including on the state web-portal, allowing users to track their application status in real-time :

Provided that the State Government may prioritise eligible vulnerable and needy sections of the society in special circumstances with recorded justification.".

[F. No. 2-1/2023-PD-II]

RAVI SHANAKAR, Jt. Secy.

Note: The Principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 213 (E), dated the 20th March, 2015 and was last amended *vide* number G.S.R. 43 (E), dated the 15th January, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.07.23 11:55:36 +05'30'